

उबैदुल्लाह खान, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 10.07.2024

प्रातः 11.00 AM बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम- गुडली, तहसील-कुराबड़,

जिला-उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 02.06.2024 एवं द सण्डे एक्सप्रेस में दिनांक 02.06.2024 को प्रकाशित कराया गया है।

यह जनसुनवाई "उबैदुल्लाह खान," द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार खनन परियोजना (एम.एल.न. 44/2023 (लीज क्षेत्र 2.3116 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टों को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 33.9364 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 12,98,989 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज, एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 1,61,658 TPA निकट ग्राम-गुडली, तहसील-कुराबड़, जिला-उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग ₹. 01/- करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताएं साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत्त तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 27.10.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्ष्मता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "अ" में संलग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई.आई.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब" के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

श्री उदयलाल पटेल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ली जिला उदयपुर (राज.) :-

इस जन सुनवाई की सूचना भी हमको शाम को मौखिक मिली है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :-

अभी जो आपकी ग्रीवन्सेस है ना है उसको हम पूरे रिकॉर्ड एजिटीस भेजे देगे। आप जो भी कहना चाहे बोलना चाहे बोल सकते है। आप जो बोलना चाहे ना बोल सकते हो आप लोग हम भेजे देगें।

श्री उदयलाल पटेल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ली जिला उदयपुर (राज.):-

जमीन पर ग्राम पंचायत की ओर से वृक्षारोपण कर रखा है। हमारे यहां एक जल संरक्षण के लिए भी काम कर रखा है। वहां चारागाह जमीन है पशुओं के लिए है।

श्री तुलसी गिरी गोस्वामी निवासी गुड़ली पूर्व सरपंच गुड़ली:-

मेरा श्रीमान् उपजिलाधीश महोदय से आग्रह है कि यह जो योजना लागू की गयी है। आपने जो बताया है वह सुन लिया। आदिवासी लोग है वहां आदिवासी लोग रहते है उनके मकान के पास यह सारी योजना लागू हो रही है। वहां गहराई जाएगी। पानी का स्तर कम हो जाएगा। आम जनता आदिवासी के साथ है। ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया।

श्रीमान् एसडीएम साहब से निवेदन है कि श्रीमान् मौका देख ले। हमें विश्वास है कि आप सही काम करेंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :-

अभी आप जो कुछ कह रहे है उसको आगे पहुंचाना है। हमको कोई डिसिजन नहीं लेना है। अभी यस ओर नो नहीं कर रहे है। हां या ना नहीं कर रहे हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखाण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर

श्री गोस्वामी जी पूर्व सरपंच, गुड़ली :-

मेरा आपसे निवेदन है कि एसडीएम साहब मौका देखले ।

श्री उदयलाल पटेल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ली जिला उदयपुर (राज.):-

मौका देख ले ।

श्री शंकर मीणा निवासी आमजरा माईन्स के पास :-

माणे या समस्या है और कई नीं। पाणी उत्तर जावेगा मा दुःखी वीजावांगा ।

श्री उदयलाल पटेल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ली जिला उदयपुर (राज.):-

मकान भी बना रखे है बहुत जनों ने साईडों में । इनके खेत मकान आबादी भी बसी हुई है चारो तरफ इस जमीन के । चारों तरफ आबादी क्षेत्र है ।

श्री शंकरलाल मीणा आदिवासी निवासी गुड़ली फला हमेला-हमेड़ा :-

सर, हमारे पास में ही मकान है । रोड़ जितनी दूरी पर माईन्स लग गयी है । होल अभी हुए है छोटा टेटासु होल किया है । जो धमक आई है मेरे वीजा में भाटा अभी पड्या है ।

श्री रोड़ीलाल मीणा निवासी गुड़ली फला सामला :-

मेरे आस-पास खेती बाड़ी है और मवेशी चरती है और पाणी उण्डा गहरा हो जाता है तो हम क्या केर सकते है । फिर क्या करेंगे हम ।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :-

कोई लिखित में देना चाहे तो 3-4 दिन के अन्दर-अन्दर मेरे ऑफिस में दे देवें ।

श्री देवेन्द्र कुमार पटेल पिता श्री नाथू जी पटेल निवासी गुड़ली - सामाजिक कार्यकर्ता :-

पहले से ही हमारा जल स्तर तो 300 फीट नीचे है । पहली बात तो यह हुई । और दूसरी बात यह कि हमारे पशुओं का चारागाह नहीं है । चारागाह से चरने जाते तो वहां तो यहां माईन्स लग जाएगी तो हमारे पशु कहां जाएंगे । अभी कहते है कि 10 पट्टे पास हुए है माईन्स से तो गांव वाले कहा रहेंगे । फसले कहा से पकाएंगे । मैं यही कहना चाहता हूँ ।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :-

ओर भी कुछ कहना चाहेंगे । अभी कितनी माईन्से चल रही है । यहां पर ।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजरथान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

श्री उदयलाल पटेल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ली जिला उदयपुर (राज.):—

पट्टे हुए है ऐसा बोलने में आया है। दस माईन्स का पट्टा हुआ है। ऐसा सुनने में आ रहा है।

श्री मोईन जी, माईन्स की ओर से :-

सर, अभी 10 एलोटमेंट हुए हैं नए पट्टे। जो अभी ऑक्शन हुए थे 2023 में राजस्थान गवर्नमेंट के थु माईन्स विभाग ने किए ओन लाईन टेन्डर हुआ और ऑक्शन में सारी माईन्से है।

ओर यह जो क्षेत्र बता रहे हैं वह क्षेत्र इधर का है आमजरा वगैरह जो गांव है इधर है और यह जो हुआ है जो उस तरफ। उस तरफ आप मौका मुआयना कर सकते हैं। एक किलोमीटर रेडियस में कोई मकान नहीं है और पर्यावरण से लेकर कोई भी चीज अगर देखना चाहे तो पर्यावरण से पाल्यशन ऑफिस में देख सकते हैं। पर्यावरण से आपत्ति थी तो वो गवर्नमेंट करती। गवर्नमेंट ने सारे एलोटमेंट करें तो गवर्नमेंट ने सारे सर्वे करके एलोटमेंट किए हैं यहां पर ओर ऑलरेडी 4 माईन्स ऑक्शन में दी है सन् 2021 में जो अभी वर्तमान में ऐसा बता रहे हैं कि सरपंच साहब बता रहे हैं कि एनओसी केन्सल करायी उन्होंने वो श्री कै.के.गुप्ता जी की माईन्स है। उसका खनन चालू है। इन्होंने एनओसी निरस्त कर दी लेकिन उसका पट्टा आवंटन है और वो अभी माईन्स चालू है और उस ऐरिए के अन्दर अभी ये मकान वगैरह कुछ भी नहीं है। मौका मुआयना कर सकते हैं। यह आमजरा वगैरह गांव है ये निजी लीज है सारी। परसनल लीज है। परसनल जमीन कराकर लीज कराई है। गवर्नमेंट ने जो पट्टे काटे हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने वह पट्टे गुड़ली पंचायत के अन्दर में आ रहे हैं।

श्री उदयलाल पटेल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ली जिला उदयपुर (राज.):—

सरकार की ओर से एलोटमेंट यही हुआ है। सरकार की एक भी माईन्स नहीं है।

श्री मोईन जी, माईन्स की ओर से :-

सरकार का एलोट यही हुआ है।

श्री रूपलाल पटेल पिता श्री किशाना जी पटेल निवासी गुड़ली फला आंजना :-

मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ प्रथम तो मैं हमारे एसडीएम साहब को अवगत करा यह कहना चाहूंगा कि प्रथम तो हमारे पूरे गांव की आदिवासियों की साढ़े बारह समाज हमारे गांव में रहती है। सरपंच साहिबा, उप सरपंच साहब इन्होंने क्या सारी प्रथम गीती इन्हीं लोगों के उपर आती है। विभाग वाले आते हैं ये लोग भी अपनी जगह सही हैं। इन्होंने पूरी प्रस्तावित सबों की सहमति से कोरम में एनओसी जारी नहीं की। ना जाने इमानदार हो लेकिन प्रथमश्रेणी में तो दोषी ये है और अब पाछे जो ये सारे मामला उठता है

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर

वो आदिवासी का बेल्ट पड़ता है ये लोग मजदूरी करते हैं। इनका गुजारा चलता है कितना पानी का जल स्तर नीचे चला जाएगा इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :-

ओर कुछ कहना चाहे तो आ सकते हैं।


श्रीमति रिया डाबी जी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम), गिर्वा, उदयपुर :-


आज की जनसुनवाई में हम इस गांव के लोगो की शिकायतें सुनने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। जो कोई भी अपनी बात कहना चाहता है, वह बोल सकता है या मेरे कार्यालय में लिखित रूप में दे सकता है। इन बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाएगा और चर्चा के लिए उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। सही निर्णय लेने के लिए पूरी प्रक्रिया की पालना की जाएगी।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :-

ओर भी कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है आप सब पधारे आपको धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ट "स" में सलंगन) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ट "द" में सलंगन) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर-(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।


(रिया डाबी)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
गिर्वा-उदयपुर


(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्ष.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उबैदुल्लाह खान, क्वार्टरज एवं फेल्सपार (एम.एल.न. 44/2023, क्षेत्रफल- 2.3116 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 12,98,989 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टरज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 1,61,658 TPA निकट ग्राम- गुडली, तहसील-कुराबड़, जिला-उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 10.07.2024 को प्रातः 11.00 AM बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम-गुडली, तहसील-कुराबड़, जिला-उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Rina DABI	SDM GIRDWA	
2	श्रीरंग शर्मा	RO RSPCB Udaipur	
3	अशोक लोहरिया	RO, RSPCB Udaipur	
4			
5			
6	मोहन शर्मा	उदयपुर	
7	श्रीरंग शर्मा	गुडली	
8	अशोक लोहरिया	गुडली	
9	अशोक लोहरिया	अशोक लोहरिया	
10	दरजी	अशोक लोहरिया	
11	मोहन शर्मा शर्मा	करीमगंजी गुडली	
12	अशोक लोहरिया	गुडली	
13	अशोक लोहरिया	गुडली	
14	अशोक लोहरिया	गुडली	
15	अशोक लोहरिया	गुडली	
16	अशोक लोहरिया	गुडली	
17	अशोक लोहरिया	गुडली	
18	अशोक लोहरिया	गुडली	
19	Kamli Shukla	DESPU Jupa	
20	Sunil Kumar Bhatnagar	Business Enclave Udaipur	
21	अशोक लोहरिया	अशोक लोहरिया	

व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
रमेश चंद्र	गुडगाँव	रमेश
रामचंद्र	गुडगाँव	रामचंद्र
रामचंद्र	गुडगाँव	रामचंद्र
गुणरत्न	गौतम गुडगाँव	गौतम
रामचंद्र	गुडगाँव	रामचंद्र
रमेश चंद्र	गुडगाँव	रमेश
रमेश चंद्र	गुडगाँव	रमेश
रमेश चंद्र	गुडगाँव	रमेश
रमेश चंद्र	गुडगाँव	रमेश

Tradition, Gupta Delhi gave orders

Indian official, referred to as CC1 in the indictment, was not revealed, a recent report by The Washington Post alleged that a former Indian intelligence officer plotted to kill Pannun on US soil. The Ministry of External Affairs had called the report "unwarranted and unsubstantiated".

IRCON INTERNATIONAL LIMITED NAVRATNA COMPANY (A Govt. of India Undertaking) e-tender Notice Tender No.: IRCON/MECH/PE/T2/FBW/2024/6 Date: 31.05.2024

Army Institute of Technology Dighi Hills, Pune - 411 015 Tender Enquiry Refer www.aftpune.com for details email : project@aitpune.edu.in, Tele : 7249250184/185

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED Demand Notice Under Section 13(2) of The Securitization Act, 2002

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एफ-470, यू सी सी आई भवन के पास, मेगाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)

NAME OF THE BORROWER & CO-Borrowers: 1. Ms Raj Shree Silk, Jai Nagar, Pali Dist. Pali-395002 Also At- Plot No. 91, Khasara No. 860, Jai Nagar, Pali- 306401

Indian Overseas Bank- JODHPUR BRANCH Address: 1, Haider Building, Nai Sadak Circle, Sojti Gate, Jodhpur, Rajasthan 342001

NAME OF THE BORROWER & CO-Borrowers: 1. New Suncity Denting Welding Works -stadium Shopping Centre Haj House Ke Same Jodhpur -342001

जाम दंत हुए
ग को सीज
प्रकाश ने बताया
स्थित
न के मालिक
अनुमति के
करने की
हुई थी, जिसका
र्यों ने मौका
इसमें बेसमेंट
में तृतीय एवं
अतिरिक्त निर्माण
इस पर नगर
र को राजस्थान

आंतरिक निर्माण का सीज
किया। निर्माणकर्ता ने निगम के
विरुद्ध न्यायालय में भी अपील
दायर की, लेकिन निगम द्वारा
प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के
आधार पर न्यायालय ने निगम
को विधि सम्मत कार्रवाई के
लिए मुक्त किया। निगम द्वारा
शनिवार को की गई कार्रवाई के
दौरान उप नगर नियोजक
सिराजुद्दीन, सहायक नगर
नियोजक श्रुतिता कोठारी,
गोवर्धन कुमावत, कनिष्ठ
सहायक जितेंद्र मेघवाल के
साथ पुलिस जाता तैनात रहा।

को छोटे खर्च के ना पड़ेगा मुंह

शे जारी की राशि

- वेद्यार्थी पंजीयन- स्कूल ग्रांट
- 1 से 30 बच्चों पर- दस हजार, इसमें से एक हजार स्वच्छता एक्शन प्लान
- 31 से 100 बच्चों पर- 25 हजार, इसमें 2500 स्वच्छता एक्शन प्लान
- 101-250- 50 हजार, इसमें 5 हजार स्वच्छता
- 251- 1000- 75 हजार
- 1 हजार से अधिक-एक लाख

उदयपुर को मिली इतनी राशि

- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के लिए बजट
- 954.0500 लाख रुपए
- 1 से 30 पंजीयन वाले 1048 स्कूल- 104.800 लाख रुपए
- 31- 100 पंजीयन वाले 1800 स्कूल- 450.750 लाख रुपए
- 100 से 250 पंजीयन वाले 716 स्कूल- 358.000 लाख
- 250 से 1 हजार पंजीयन वाले 54 स्कूल- 40.500 लाख रुपए
- कुल स्कूल- 3621
- कुल राशि- 954.0500 लाख रुपए

लापूर्ति के बारे में

चुल्लू में पानी लेकर चखा। प्रेशर जांचा, पानी के लिए नमूने: ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी का प्रेशर नहीं मिलने की समस्या सामने आने पर जिला कलक्टर ने स्मार्ट सिटी की तकनीकी टीम से हाथों हाथ जलापूर्ति का प्रेशर चेक कराया। वहीं पीपलेश्वर महादेव गली में दूषित पानी की शिकायत पर जिला कलक्टर ने मकान से महिला को बुलावाकर पूछा। इस पर महिला ने दो-तीन दिन पहले की सफाई में समस्या होना बताया, लेकिन शुक्रवार रात हुई जलापूर्ति में शुद्ध पानी आने की बात कही। इस पर कलक्टर ने महिला के घर से दो दिन पहले का पानी मंगवा कर उसकी सेम्पलिंग कराई।

न बताया कि जलदाय विभाग क कार्मिकों द्वारा पानी की लाइन को दुरुस्त करने के लिए गड्डे खोदे गए। विभाग के कार्मिकों द्वारा लाइन दुरुस्त करते समय डामर की सड़क को भी तोड़ा गया। इसके बाद दुकानों के बाहर मिट्टी के ढेर लगा दिए। पानी की लाइन को तो दुरुस्त कर दी, लेकिन दुकानों के बाहर लगे मिट्टी के ढेर नहीं हटने से तेज हवाओं के चलने के कारण

कल से ऑनलाइन जारी होंगे पीटीईटी के एडमिट कार्ड

ब्यूरो नवज्योति/ उदयपुर। पीटीईटी परीक्षा के प्रवेश पत्र सोमवार से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिला समन्वयक एवं मीरा कन्या महाविद्यालय प्राचार्य प्रो दीपक माहेश्वरी ने बताया कि जिले में दो वर्षीय बीएड के लिए 23 परीक्षा केंद्र एवं चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स प्रवेश के लिए 17 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, प्रत्येक कक्ष में कम से कम दो चीक्षक रखना अनिवार्य किया गया है। परीक्षा के जिला समन्वयक प्रो दीपक माहेश्वरी ने बताया कि सभी केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस की कड़ी चौकसी में परीक्षा कराई जा रही है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार केंद्रों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा केंद्र पर्यवेक्षक भी केंद्रों का बारीकी से पर्यवेक्षण करेंगे।

पड़ा हुई है। ग्रामीणों ने बताया की गांव के अंदर भी सीसी रोड को तोड़कर लाइनों को दुरुस्त किया जाता है, लेकिन लाइन दुरुस्त होने के बाद पुनः सड़क को दुरुस्त नहीं कराया जाता है। इस वजह से गड्डे में नारिंग का पानी भरने से समस्या आती है। ग्रामीणों ने स्थानीय पंचायत एवं जलदाय विभाग के कार्मिकों से व्यवस्था में सुधार करवाने की मांग की है।

क्षेत्रीय अखिबारी
एफ-470, रूसी सी आई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)
ई-मेल : rorpcburlapour@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय : प्रस्तावित यमाटेंज एवं फौजदार चानन परियोजना एम.एल.नं. 44/2023, क्षेत्रफल 2.3116 हेक्टेयर, कलक्टर क्षेत्रफल 33.9364 हेक्टेयर ग्राम-गुजली, तहसील-सुरवांस, जिला-उदयपुर, राजस्थान के पक्ष में गोतम्मद इमरान हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित यमाटेंज एवं फौजदार चानन परियोजना एम.एल.नं. 44/2023, क्षेत्रफल 2.3116 हेक्टेयर, कलक्टर क्षेत्रफल 33.9364 हेक्टेयर उपर्युक्त परियोजना दमता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (प्रायं तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की परियोजना स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई मात आवेदन किया गया है।
- और श्रुति मण्डल को उपरा परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.ओ. 1633 दिनांक 14.02.2008 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- उक्त परियोजना से संबंधित सहायक अधिकारी (कार्यकारी सार्वर) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
 - कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
 - सहायक सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र शाहला झरसी, जयपुर।
 - क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरण्य भवन, संस्थानिक क्षेत्र शाहला झरसी, जयपुर।
 - क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय भवन हर्षाराल, सेक्टर ए, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
 - उप अधिकारी तहसील-सुरवांस, जिला-उदयपुर।
 - निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-ए (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
 - क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित लोक सुनवाई दिनांक 10.07.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण स्वीचिंग मशी रोमा केंद्र, ग्राम-गुजली, तहसील-सुरवांस, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आशय को विवेक-सेना को ज्ञान दे तथा परियोजना की परियोजना स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई मात आवेदन किया गया है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित/सुवात आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किशे जा सकते है।

क्षेत्रीय अखिबारी
DNJ-318858

क्षेत्रीय अखिबारी
एफ-470, रूसी सी आई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)
ई-मेल : rorpcburlapour@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय : प्रस्तावित यमाटेंज एवं फौजदार चानन परियोजना एम.एल.नं. 45/2023, क्षेत्रफल 1.6142 हेक्टेयर, कलक्टर क्षेत्रफल 33.9364 हेक्टेयर ग्राम-गुजली, तहसील-सुरवांस, जिला-उदयपुर, राजस्थान के पक्ष में गोतम्मद इमरान हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित यमाटेंज एवं फौजदार चानन परियोजना एम.एल.नं. 45/2023, क्षेत्रफल 1.6142 हेक्टेयर, कलक्टर क्षेत्रफल 33.9364 हेक्टेयर उपर्युक्त परियोजना दमता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (प्रायं तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की परियोजना स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई मात आवेदन किया गया है।
- और श्रुति मण्डल को उपरा परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.ओ. 1633 दिनांक 14.02.2008 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- उक्त परियोजना से संबंधित सहायक अधिकारी (कार्यकारी सार्वर) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
 - कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
 - सहायक सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र शाहला झरसी, जयपुर।
 - क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरण्य भवन, संस्थानिक क्षेत्र शाहला झरसी, जयपुर।
 - क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय भवन हर्षाराल, सेक्टर ए, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
 - उप अधिकारी तहसील-सुरवांस, जिला-उदयपुर।
 - निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-ए (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
 - क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित लोक सुनवाई दिनांक 10.07.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण स्वीचिंग मशी रोमा केंद्र, ग्राम-गुजली, तहसील-सुरवांस, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आशय को विवेक-सेना को ज्ञान दे तथा परियोजना की परियोजना स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई मात आवेदन किया गया है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित/सुवात आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किशे जा सकते है।

क्षेत्रीय अखिबारी
DNJ-318858

श्री उबेदुल्ला खान पुत्र साबिर हुसैन
निकतम गाँव गुड़ली तहसील गिर्वा (कुराबड)

M.L. No :- 44/2023









